संख्या-11/2016/554 ई-2/तेरह-2016-88/2014

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनउ::दिनांक 02 मार्च,2016

विषय:- कनौरिया चीनी मिल में उत्पादित/उपलब्ध शीरे पर आरक्षण लागू न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-26/दस-शीरा-निधि-53, दिनांक 11 जून,2015, पत्र संख्या-जी-45/दस-शीरा-निधि-53, दिनांक 29 जुलाई,2015] तथा पत्र संख्या-जी-113/दस-शीरा-निधि/53, दिनांक 22 दिसम्बर,2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्रों में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त मा0 ए0ए0आई0एफ0आर0 के आदेश दि0 29-10-2014 एवं दि0 12-11-2014 के अनुपालन में दि कनौरिया शुगर एण्ड जनरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि0, कुशीनगर में वर्ष 2014-15 में उत्पादित/उपलब्ध शीरे को एक वर्ष अर्थात् शीरा वर्ष 2014-15 के लिये आरक्षण से मुक्त रखने की एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

कृपया तद्नुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in